

[दि कैरिज बाई एयर (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिंदी अनुवाद]

विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2015

विमानवहन अधिनियम, 1972
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विमानवहन (संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

संक्षिप्त नाम ।

2. विमानवहन अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है)

धारा 4क का संशोधन।

5 की धारा 4क की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

10 “(6) केंद्रीय सरकार, अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की तीसरी अनुसूची के अध्याय 3 के नियम 24 के अधीन निक्षेपागार द्वारा पुनरीक्षित दायित्वों की सीमाओं को, उस अनुसूची के उक्त अध्याय के अधीन वाहकों के दायित्वों और नुकसानी के लिए प्रतिकर की सीमा का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए प्रभावी कर सकेगी ।”।

नई धारा 8क का
अंतःस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी,
अर्थात् :—

नियम बनाने की
शक्ति ।

“8क. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और जारी की गई प्रत्येक 5
अधिसूचना बनाए जाने और जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन
के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी
जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो
सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के
पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं 10
तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व
दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी
नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी । किन्तु नियम या
अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात 15
की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विमानवहन की वारसा कन्वेंशन, 1929 और हेग प्रोटोकाल 1955 द्वारा यथा संशोधित वारसा कन्वेंशन तथा मांट्रियल कन्वेंशन, 1999 के अधीन स्थापित अन्तरराष्ट्रीय वहन में की नुकसानी की दायित्व सीमाओं को भारत में विमानवहन अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् विमानवहन अधिनियम कहा गया है) द्वारा अंगीकार कर लिया गया है, अपना लिया गया है और प्रभावी किया गया है। विमानवहन के दायित्व को अन्तरराष्ट्रीय वहन में नुकसानी के लिए प्रतिकर की सीमा को शासित करने संबंधी नियम विमानवहन अधिनियम की पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में अन्तर्विष्ट हैं।

2. अन्तरराष्ट्रीय विमानवहन संबंधी कतिपय नियमों के एकीकरण की मांट्रियल कन्वेंशन को, जो 28 मई, 1999 को मांट्रियल में आयोजित की गई थी, भारत द्वारा 1 मई, 1999 को एक अधिमिलन लिखत प्रस्तुत करके अपनाया गया था और विमानवहन अधिनियम को, मांट्रियल कन्वेंशन के उपबंधों को अधिनियम की तीसरी अनुसूची के अधीन समाविष्ट करने के लिए वर्ष 2009 में संशोधित किया गया है। यह संशोधन अधिनियम 30 जून, 2009 को प्रवृत्त हुआ था।

3. मांट्रियल कन्वेंशन के अनुच्छेद 24 में, जो विमानवहन अधिनियम की तीसरी अनुसूची के नियम 24 के तत्समान है, विमानवहन अधिनियम की, नियम 21, नियम 22 और नियम 23 में, जो मांट्रियल कन्वेंशन के अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 23 के तत्समान हैं, यात्रियों, सामान और स्थोरा के वहन के संबंध में नुकसानी के लिए विहित विमान वाहकों के दायित्व की सीमाओं का पांच वर्ष के अन्तराल पर पुनर्विलोकन करने का उपबंध है।

4. मांट्रियल कन्वेंशन के अनुच्छेद 24 के पैरा 2 में उपवर्णित लक्षित अनुमोदन तंत्र के अनुसार, पुनरीक्षण अधिसूचना के जारी किए जाने पर छह मास के भीतर सभी राज्य पक्षकारों के लिए प्रभावी हो जाएंगे जब तक कि अधिसूचना के पश्चात् तीन मास के भीतर अधिकांश राज्य पक्षकारों ने उक्त पुनरीक्षण के संबंध में अपना अननुमोदन अन्तरराष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन (निक्षेपागार) के पास रजिस्टर न करा दिया गया हो। निक्षेपागार ने मांट्रियल कन्वेंशन के अनुच्छेद 24 के अधीन दायित्व की सीमाओं का ऐसा प्रथम पुनर्विलोकन किया और तारीख 30 जून, 2009 की एक अधिसूचना जारी कर दी। मांट्रियल कन्वेंशन के प्रति राज्य पक्षकारों की बहुसंख्या से विहित सूचना अवधि में अननुमोदन संबंधी अधिसूचना के अभाव में पुनरीक्षित सीमाएं मांट्रियल कन्वेंशन के सभी राज्य पक्षकारों के लिए 30 दिसम्बर, 2009 से प्रभावी हो गई हैं। तुलनात्मक पुनरीक्षित अधिसूचित सीमाएं और साथ ही पुरानी सीमाएं निम्नानुसार हैं :

क्रम सं०	मांट्रियल कन्वेंशन के अधीन उपबंध	विशेष अधिकारों (एसडीआरएस) पुरानी सीमाएं	आरेखण की (एस.डी.आर.) पुनरीक्षित सीमाएं
1.	मृत्यु या शारीरिक क्षति की दशा में पहुंचा नुकसान प्रत्येक व्यक्ति के लिए (अनुच्छेद 21, पैरा 1)	100000	113100
2.	वहन में विलंब द्वारा कारित नुकसान प्रत्येक व्यक्ति के लिए (अनुच्छेद 22, पैरा 1)	4150	4694

3.	सामान का नष्ट होना, उसकी हानि होना, नुकसान होना या उसमें विलंब होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए (अनुच्छेद 22, पैरा 2)	1000	1131
4.	स्थोरा के वहन के संबंध में नाश, हानि, नुकसान या विलंब (अनुच्छेद 22, पैरा 3)	17	19

5. पुनरीक्षित सीमाओं को प्रभावी करने के लिए विमानवहन अधिनियम के सुसंगत उपबंधों को संशोधित करना अपेक्षित है।

6. उपरोक्त को देखते हुए,--

(क) विमानवहन अधिनियम की धारा 4क का, उसमें एक नई उपधारा (6) अन्तःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि केन्द्रीय सरकार को विमानवहन अधिनियम की तीसरी अनुसूची के नियम 24 के अधीन किए गए पुनर्विलोकन के अनुसरण में, जैसे ही अन्तरराष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन द्वारा, पुनरीक्षित सीमाएं अधिसूचित की जाएं, मांट्रियल कन्वेंशन के अनुच्छेद 24 के निबंधनों के अनुसार, पांच वर्ष में एक बार दायित्व की पुनरीक्षित सीमाओं को प्रभावी करने के लिए सशक्त बनाया जा सके;

(ख) विमानवहन अधिनियम का, उसमें एक नई धारा 8क अन्तःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, जो अधिनियम और उसके साथ पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची के रूप में उपाबद्ध नियमों से असंगत न हों, नियम बनाने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

नई दिल्ली :
28 जुलाई, 2015

पी. अशोक गणपतिराजू

वित्तीय जापन

विधेयक का उद्देश्य विमानवहन अधिनियम, 1972 का संशोधन करने का है जिससे केन्द्रीय सरकार को वाहकों के दायित्वों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए निक्षेपागार द्वारा यथा पुनरीक्षित दायित्व की सीमाओं को और उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची के अध्याय 3 के अधीन नुकसानी के लिए प्रतिकर की सीमा को प्रभावी किया जा सके तथा अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाए जा सकें। इस प्रकार, विधेयक में कोई वित्तीय विवक्षाएं नहीं हैं और उसमें आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में जापन

विधेयक का खंड 2 विमानवहन अधिनियम, 1972 की धारा 4क में एक नई उपधारा (6) अन्तःस्थापित करने के लिए है जिससे कि केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची के नियम 24 के उपबंधों के अनुसार निक्षेपागार द्वारा यथा पुनरीक्षित दायित्व की सीमाओं को प्रभावी करने हेतु अधिसूचना जारी करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 3 एक नई धारा 8क अन्तःस्थापित करने के लिए है जिससे केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके ।

वे विषय, जिनके संबंध में पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।